राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक:–एफ 165( )लेव/पंरावि/कोषालय से भुगतान/2014–15 /19887-88 जयपुर, दिनांक:– 24-11-2016

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद–समस्त।
विकास अधिकारी,
पंचायत समिति–समस्त।

विषयः–पंचायती राज कार्मिकों का वेतन भुगतान कोषालयों के माध्यम से किए जाने के संबंध में।

संदर्भः– निदेशक, कोष एवं लेखा जयपुर का पत्र क्रमाक एफ5(थ–75) कोष/आईएफएमएस/पीआरआई/11322–11323 दिनांक 11.11.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि पंचायती राज कार्मिका का वेतन माह नवम्बर पेड दिसम्बर का भुगतान कोषालय के माध्यम से ही किया जाना है। जिला परिषदों एवं पंचायत समिति कार्यालयों द्वारा वर्तमान में पंचायती राज कार्मिकों का मास्टर डाटा फीडिंग का कार्य किया जा रहा है। इस कार्यालय के पत्र कमांक 19609–10 दिनांक 15.11.2016 द्वारा दिनांक 21.11.2016 तक पीआरआई पे–मेनेजर में पंचायती राज कार्मिकों का मास्टर डाटा फीडिंग कार्य पूर्ण कर अवगत कराने हेतु लिखा गया था, लेकिन पीआरआई पे–मेनेजर से उपलब्ध सूचना अनुसार कई पंचायत समितियों द्वारा अभी तक कार्मिकों का मास्टर डाटा फीडिंग का कार्य ही प्रारम्भ नही किया गया है एव कई पंचायती राज संस्थाओं द्वारा फीडिंग कार्य तेजी से नही किया जा रहा है। जिसे वित्त विभाग द्वारा गंभीरता से लिया गया है।

अतः पंचायती राज कार्मिकों (बजट मद 2515) का मास्टर डाटा फीडिंग का कार्य सावधानीपूर्वक पूर्ण शुद्धता के साथ कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार किया जावे। यदि मास्टर डाटा फीडिंग जॉच के दौरान कोई अशुद्धि पाई जाती है तो उसका सुधार प्रथम बिल जनरेट करने से पूर्व डी.डी.ओ. लॉगिन से निम्नानुसार की जा सकती है :–

1. **Login in Pripaymanager.raj.nic.in**
2. **Go to Authorization option**
3. **Then Go to Personal Datail updation option**

एक बार बिल कोषालय/उपकोषालय को सिस्टम से फारवर्ड करने के पश्चात डेटा में सुधार स्थापित प्रकिया/नियमों के अनुसार ही किया जाना संभव होगा। अतः मास्टर डाटा फीडिंग का कार्य पूर्ण शुद्धता एवं सावधानीपूर्वक दिनांक 25.11.2016 से पूर्व पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करावे। ताकि कार्मिकों को वेतन समय पर प्राप्त हो सके।

भवदीय,

(डा. अरविन्द मिश्रा)
वित्तीय सलाहकार